पाकिस्तानः ट्रेन पलटी, 6 की मौत; 40 घायल



इस्लामाबाद| पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान में मंगलवार सुबह यात्री ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर जा रही थी। इसमें करीब 500 यात्री सवार थे। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

-: जाहिर सूचना :-

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने 1–डेफोडिल्स एजुकेशन एन्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी पता 36 इकबाल कॉलोनी भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्रीमती तसनीम खान पुत्री श्री अब्दुल शकूर खान, 2. श्रीमती तसनीम खान पुत्री श्री अब्दुल शकूर खान आयु वयस्क निवासी जी 04 भगवान एन्क्लेव फेस 02 केपिटल पेट्रोल पंप भोपाल मध्य प्रदेश के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की नौ किता भूमि जिनका खसरा क्रमांक 389/2 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 390 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 391/1 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 392/1 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 393/1 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 394/1 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 414/2/1 रकबा 0.1570 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 414/2/2 रकबा 0.1630 हैक्टेयर, खसरा क्रमांक 415/2 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर अर्थात 3.75 एकड़/डेसीमल संपूर्ण भूमि जो कि ग्राम खजूरी, पटवारी हल्का खजूरी रातातात, विकास खण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में मुख्य मार्ग से अंदर स्थित है उक्त भूमि को क्रय करने हेतु टोकन बयाना राशि अदा कर दी गई है यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी बैंक, सोसायटी, व्यक्ति, संस्था एवं भूमि स्वामी आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेन–देन या वाद विवाद या हिबा, दान, गिरवी, वसीयत, विक्रय अनुबंध, विक्रय विलेख आदि हो तो वह इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के सात दिवस के अंदर मेरे कार्यालय मे संपूर्ण साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर मय दस्तावेज के आपत्ति प्रस्तुत करे समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी तथा मेरा पक्षकार उक्त भूमि का पंजीयन अपने पक्ष मे कराने के लिये स्वंतत्र होंगे।

भवदीय
राजेन्द्र सक्सेना अधिवक्ता
सक्सेना लॉ चेम्बर
कार्याः शॉप नं. 58, डुगाना मंदिर कोम्पस, कोलार भोपाल
मो.8959237282

आम सूचना

(जो की खसरा क्रमांक 112/2/2(S), कुल रकबा 8 एकड़ यानि 3.2380 हेक्टेयर ग्राम सोहनखेड़ा तहसील इछावर, जिला सीहोर, म.प्र.)

मै अपने पक्षकार द्वारा निर्देशित किये जाने से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ की मेरे पक्षकार के द्वारा श्री बिलाल अहमद आत्मज श्री साबिर अहमद निवासी हाउस नं. 60/2, इस्लामपुरा, भोपाल म.प्र. एवं जियाद अहमद आत्मज साबिर अहमद, निवासी–60/2, मस्जिद पंचायती के पास, कसाईपुरा (इस्लामपुरा), भोपाल म.प्र. के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि जो की खसरा क्रमांक 112/2/2(S), कुल रकबा 8 एकड़ यानि 3.2380 हेक्टेयर ग्राम सोहनखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमायें दिशा पूर्व में विक्रेता की भूमि जो श्री जियाद अहमद ने क्रय की हैं, दिशा पश्चिम में– ईटखेड़ा रोड कच्चा, दिशा उत्तर में– श्री अजय सोनी की भूमि, दिशा दक्षिण में– ईटखेड़ा रोड कच्चा एवं सोहनखेड़ा रोड (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्ग) है। जिसको क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार के द्वारा टोकन राशि अदा की गई है एवं जिसका विक्रय अनुबंध पत्र का निष्पादन निकट समय में किया जायेगा, अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की यदि उपरोक्त संव्यवहार से किसी बैंक, व्यक्ति, संस्थान, फर्म शासकीय व गैर शासकीय कार्यालय, या कोई हितधारी, इत्यादी को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के दस दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजो के आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा उपरोक्त समय अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार और भूखण्ड स्वामी पर मान्य नहीं होगी।

संदीप गांगुली (अधिवक्ता)
तुषार गांगुली (अधिवक्ता)
कार्या. : ए–86, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल ब्रांच आफिस–प्लाट नं. 93–94, फर्स्ट फ्लोर, आर.के. टावर, हकीम रेस्टरेंट के पीछे, एम.पी. नगर भोपाल
मो. नं.- 9826089328

आम सूचना

एक किता कृषि भूमि खसरा न. 483 (एस) रकबा 1.8750 हेक्टेयर, अर्थात 4.63 एकड़ भूमि, स्थित ग्राम–गुनगा, पटवारी हल्का गुनगा, तहसील - बैरसिया जिला - भोपाल के संबंध मे।

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने भूमि स्वामी / विक्रेता प्रेमनारायण पुत्र श्री गोकल प्रसाद जाति साहू पता–गुनगा तहसील बैरसिया जिला भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की एक किता कृषि भूमि खसरा न. 483 (एस) रकबा 1.8750 हेक्टेयर, अर्थात 4.63 एकड़ भूमि, स्थित ग्राम–गुनगा, पटवारी हल्का गुनगा, तहसील–बैरसिया जिला–भोपाल को क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार ने अनुबंध कर विक्रेता को टोकन/बयाना राशि अदा कर दी है। यदि उपरोक्त विक्रित भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय व गैर शासकीय कार्यालयों का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो अथवा उक्त भूमि कही विक्रय, दान, बन्धक, गिरवी, वसीयत, हिबा, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में मय प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा स्वतत्व, अधिकार या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बन्धनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार उपरोक्त विक्रीत भूमि की शेष राशि का भुगतान कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाने के लिये स्वतन्त्र रहेंगा।

भवदीय **मोनू साहू** (अधिवक्ता)
कार्याः- मॉ कर्मा लॉ चेम्बर
शिव नगर मेन रोड मानपुर भोपाल
मो.नं. : 8109067939

PUBLIC NOTICE

On behalf of my client, Pacific Iron Manufacturing Limited, I hereby give notice to the general public that a petition under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 bearing Case NO. IB426/ND/2025 has been filed before the Hon'ble NCLT, New Delhi against **Nisarg Ispat Private Limited**. The said matter is presently sub judice. All persons, banks, financial institutions, and the public, at large are hereby cautioned not to deal in, purchase, transfer, or encumber any movable or immovable property or assets **Nisarg Ispat Private Limited** during the pendency of these proceedings, as any such dealings shall be at the sole risk of the parties concerned.

Shivashish Dwivedi
Advocate
41,LGF,G.K.-II, New Delhi-110048
Mob. +91 9051154810

खंडन जाहिर सूचना दिनांक 10.10.26

प्लाट क्र. 152, स्थित कोल एंड टिंबर मार्केट, निशातपुरा छोला रोड, सम्बन्ध में

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री सतीश अरोरा पुत्र स्व. श्री बख्तिलाल अरोरा व अन्य के स्वामित्व के भूखंड क्रमांक 152, क्षेत्रफल 20,000 वर्गफीट, स्थित कोल एंड टिंबर मार्केट, निशातपुरा (छोला रोड), तहसील हुजूर, जिला भोपाल के संबंध में श्री शुभम मुदगल, अधिवक्ता द्वारा प्रकाशित जाहिर सूचना में वर्णित कथन असत्य और एक पक्षीय हैं तथा वास्तविक तथ्यों एवं पक्षकारों के मध्य हुए अनुबंध दिनांक 10.07.2023 की समस्त शर्तों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। उक्त भूखंड के संबंध में पक्षकारों के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों उसके पालन तथा संबंधित पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण विधि अनुसार किया जाना तत्समय अपेक्षित था जो की नहीं किया गया जिस कारण से उक्त अनुबंध काफी पूर्व समाप्त होकर वर्तमान में अवधी बाधित हो चुका है जिसके आधार पर कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मेरे पक्षकार को अनुबंध में वर्णित अनुसार विक्रय मूल्य नियत समय पर प्राप्त नहीं होने से उक्त अनुबंध विधि अनुसार समाप्त हो चुका है मेरे पक्षकार द्वारा कभी भी अनुबंध के प्रस्तावित क्रेता को उक्त भूखंड का आधिपत्य नहीं दिया गया तथा उक्त भूखंड पर आज भी मेरे पक्षकार का ही आधिपत्य है। श्री शुभम मुदगल अधिवक्ता द्वारा प्रकाशित उक्त जाहिर सूचना असत्य तथ्यों और आधारों पर प्रकाशित करवाई गई है जो कि मेरे पक्षकार पर किसी भी प्रकार से बंधनकारी नहीं है अतः उपरोक्त भूखंड के संबंध में इस खंडन सूचना के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि भूखंड क्रमांक 152, क्षेत्रफल 20,000 वर्गफीट, स्थित कोल एंड टिंबर मार्केट निशातपुरा (छोला रोड), तहसील हुजूर, जिला भोपाल आज भी मेरे पक्षकार के स्वत्व स्वामित्व और अधिपत्य का है जिसे विक्रय करने के समस्त अधिकार मेरे पक्षकार को हैं।

भवदीय **रवि गोयल** (अधिवक्ता)
कार्या.: ई-7/213, अरेरा कालोनी, भोपाल मो. : 9826015058

आम सूचना

कृषि भूमि, ग्राम-खजूरी कलां पटवारी हल्का क्रमांक-19/31, तहसील हुजूर,भोपाल के संबंध में

मै अपनी पक्षकार श्रीमती सुनीता रायकवार पत्नी श्री दिलीप रायकवार आयु वयस्क निवासी–18, ग्राम–राम नगर मुसाखेडी, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश पिन–452001, की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने एक किता कृषि भूमि, जो कि खसरा क्रमांक–642/2/क, एवं वर्तमान खसरा क्रमांक–642/2/1/2/1/1, का अंश भाग होकर ग्राम–खजूरी कलां, पटवारी हल्का क्रमांक–19/31, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल मध्यप्रदेश का जो कि श्री कृपाल सिंह राजपूत आत्मज श्री काशी राम राजपूत से क्रय करने का अनुबंध किया है जो कि श्री कृपाल सिंह राजपूत आत्मज श्री काशी राम राजपूत के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति है जिसका विवरण उप–पंजीयक कर्यालय भोपाल में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पुस्तक क्रमांक–अ–1, ग्रन्थ क्रमांक–26412 एवं दस्तावेज क्रमांक –837(ग), दिनांक–06.06.2007 पर इंद्राज है। यदि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का स्वत्व, अधिपत्य, हित, ऋण, बंधक सम्यक भार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि के अंदर मुझे, मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नही होंगे।

भवदीय–
विवेक सिंह एडवोकेट
आफिस पता–प्लाट नं.–161 एच–2/बी सेकेण्ड फ्लोर गोपाल भवन आईसीआई बैंक के सामने जोन–1, एम.पी.नगर भोपाल
मो. नं.–7471125917

जाहिर सूचना

एक किता कृषि भूमि खसरा क्रमांक 76/1/2 रकबा 0.1110 हेक्टयर स्थित ग्राम-मिसरोद तहसील कोलार जिला भोपाल

मै अपने पक्षकार की ओर से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार द्वारा श्री बालाशीष दुबे आत्मज श्री अजीत दुबे आयु वयस्क निवासी–ग्राम–एच आई जी 1/476 अरविन्द विहार बागमुगालिया भोपाल (म.प्र.) के स्वामित्व की एक किता कृषि भूमि खसरा क्रमांक 76/1/2 रकबा 0.1110 हेक्टयर स्थित ग्राम–मिसरोद तहसील कोलार जिला भोपाल मे स्थित है उक्त संपत्ति का मेरे पक्षकार द्वारा विक्रय अनुबंध किया जा रहा है। अतः सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि यदि उक्त संपत्ति के संबंध मे किसी भी पक्ष, संस्था वित्तीय अथवा गैर वित्तीय, बैंक, शासकीय, गैर शासकीय आदि का किसी प्रकार का हित निहित हो तो संबंधित पक्ष अपनी आपत्ति मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे कार्यालय में इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्तियाँ मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नही होंगी।

भवदीय **के.के. काला** अधिवक्ता
ऑफिस :- 32 यूजीएफ, सारगाय कामप्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल मो.-9993411804

जाहिर सूचना

सोदा निरस्ती के संबंध में

भूमि ख. क्र 333/2/2/3/1 रकबा 0.4080 हे., ख. क्र 333/2/2/3/2 रकबा 0.3740 हे., एवं ख. क्र 334/2/2/3/1 रकबा 0.0340 हे. कुल रकबा 0.816 हेक्टेयर स्थित ग्राम दौलतपुर ठिकरिया, प.ह.न. 04 भोपाल के संबंध में

सर्वसाधारण को मेरे पक्षकारगण 1. श्री अंकित अग्रवाल आत्मज श्री संजय अग्रवाल 2. श्री अर्पित अग्रवाल आत्मज श्री संजय अग्रवाल निवासी– मकान नं–1 कसेरा गली लोहा बाजार,भोपाल के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि उनके स्वत्व एवं स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि ख.क्र 333/2/2/3/1 रकबा 0.4080 हे., ख.क्र 333/2/2/3/2 रकबा 0.3740 हे., एवं ख.क्र 334/2/2/3/1 रकबा 0.0340 हे. कुल रकबा 0.816 हेक्टेयर स्थित–ग्राम दौलतपुर ठिकरिया, प.ह.न.–04 भोपाल में स्थित है, जिसके संबंध में एक आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 18.09.2026 को दैनिक समाचार–पत्र दैनिक भास्कर, भोपाल मे श्री इंदर कुमार दीनानी अधिवक्ता के पक्षकार की ओर से उक्त भूमि को क्रय किये जाने के संबंध में कारावा गया था। उपरोक्त भूमि के संबंध में मेरे पक्षकार और श्री इंदर कुमार दीनानी के पक्षकार के मध्य जो सौदा हुआ था, वह दोनो पक्षकारों की आपसी सहमती से निरस्त कर दिया गया है और दोनों पक्षकारों के मध्य अब कोई लेन देन शेष नहीं है। उक्त सौदा निरस्तीकरण के बाद मेरे पक्षकारगण उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग व अंतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिसमे श्री इंदर कुमार दीनानी के उपरोक्त पक्षकार को किसी प्रकार की कोई अपत्ति एवं वाद विवाद या कानूनी कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अतः सर्वसाधारण को सूचित हो।

भवदीय **अनिमेष लखेरा** (अधिवक्ता)
कार्या.: 36, श्रीजी मंदिर के पास, लखेरापुरा भोपाल
मो. : 9630844283

जाहिर सूचना

(कृषि भूमि खसरा नंबर 231, 240, 242, 244, 245/2, 249, 252 कुल रकबा 7.43 हेक्टेयर, ग्राम इनायतपुर, तहसील कोलार, भोपाल म.प्र. के संबंध में)

मेरे पक्षकार मेसर्स एम. के. एम. एसोसिएट्स, प्रोपरायटर श्री मनीष व्यास पुत्र श्री एस.के. व्यास, एस.एम. 16 ब्लॉक सी, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स हबीबगंज रेल्वे स्टेशन के पास होशंगाबाद रोड, भोपाल और श्री छोटे खाँ पुत्र श्री गुलाब खाँ, निवासी ग्राम इनायतपुर, तहसील हुजूर (वर्तमान तहसील कोलार), जिला भोपाल म.प्र. के मध्य उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के लिए एक विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ था और जिसके पेटे श्री छोटे खाँ के द्वारा विक्रय राशि प्राप्त की गई थी। श्री छोटे खां के द्वारा जिला न्यायालय भोपाल में उक्त अनुबंध पत्र के संबंध में दावा भी प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त हो गया था। इस प्रकार उक्त विक्रय अनुबंध पत्र वर्तमान में अस्तित्व में है। वर्तमान में श्री छोटे खां द्वारा उपरोक्त वर्णित अनुबंधित भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में अपने वारिसानो (आसिम खान, आरिफ खान, आसिफ खान एवं नजमा बी) के नाम पर कराया जाकर उसे ऐनकेन प्रकारेण विकय करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में कोई व्यक्ति या संस्था श्री छोटे खाँ या उनके वारिसानों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करें, अन्यथा संपूर्ण जवाबदारी संव्यवहारकर्ता की होगी।

भवदीय **एस. प्रसाद** (अधिवक्ता)
पता- 125, लदमी प्लाजा, जोन-2, एम.पी. नगर भोपाल म.प्र.
मो. नं.- 9827222749

आम सूचना

भूखण्ड क्र. 18, वरुण नगर, बावड़िया कलां, भोपाल

मै, अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि चार्वी गुप्ता पुत्री स्व. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, निवासी– 238, ई–4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा धारित स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक किता आवासीय भूखण्ड क्रमांक–18, जिसका क्षेत्रफल 9.00 मी. x 15.00 मी. = 135 वर्गमीटर अर्थात् 1452.60 वर्गफीट है जो कि वरूण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल द्वारा विकसित कॉलोनी "वरूण नगर" ग्राम बावड़िया कलां, वार्ड क्रमांक–52, तहसील कोलार, जिला भोपाल में स्थित है। जिसकी चतुः सीमाएं इस प्रकार हैं पूरब में–भूखण्ड क्र. 15, पश्चिम में–सोसायटी रोड, उत्तर में–भूखण्ड क्र. 17, दक्षिण में–भूखण्ड क्र. 19 है। यह कि मेरा पक्षकार उपरोक्त भूखण्ड को क्रय करने के इच्छुक हैं एवं टोकन राशि का भुगतान कर दिया है, यदि उपरोक्त भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय, वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य का कोई हित, स्वत्व सम्बन्ध या किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन हो, तो वह इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में प्रमाण सहित मूल दस्तावेज मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व अधिकार या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी तथा मेरे पक्षकार व्यक्ति, सम्पति के "विक्रय पत्र" का पंजीयन, उप–पंजीयक कार्यालय, में कराने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

भवदीय **अब्राहम जोसफ** (एडवोकेट एवं नोटरी)
जे.जे. एसोसिएट्स
शॉप नं.-4, तवा कॉम्पलेक्स, बिट्टन मार्केट, भोपाल
फोन : 4932555, मोबा.: 9827069180

प्रतिखण्डन

आम सूचना दिनांक 09.10.2026 के खण्डन दिनांक 12.10.2026 का प्रतिखण्डन

भूखण्ड क्र.-ई-5/77, अरेरा कॉलोनी, भोपाल)

सर्वजन संसूचित हो कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे अधिवक्ता श्री सौरभ नामदेव के हस्ते प्रकाशित आम सूचना दिनांक 09.10.2026 का खंडन दिनांक 12.10.2026 को अधिवक्ता श्री योगेश वर्मा व श्री अतहर अली के संयुक्त नामे/हस्ते प्रकाशित जो कि श्री आशुतोश वाजपेई पुत्र स्व. श्री एस.के. वाजपेई की पत्नि श्रीमती राजेश्वरी वाजपेई के निर्देश पर प्रकाशित होना विदित होता है। आम सूचना दिनांक 09.10.2026 का खंडन दिनांक 12.10.2026 गलत व भ्रामक होने से मेरे पक्षकार के द्वारा मेरे माध्यम से प्रतिखंडन किया जाकर वैध तथ्यो का प्रकाशन करवाया जा रहा है। सर्वजन को विदित करवाया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री अरूण अग्रवाल पुत्र श्री आर.पी. अग्रवाल के द्वारा आवासीय मद के भूखंड क्र. ई–5/77, अरेरा कॉलोनी, भोपाल को पूर्व भूखंड स्वामी श्री आशुतोश वाजपेई पुत्र स्व. श्री एस.के. वाजपेई को सम्पूर्ण तयशुदा प्रतिफल अदा कर विधिवत वैध पंजीकृत विलेख के माध्यम से स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य का अर्जन किया गया है। मेरे पक्षकार को उनके स्वामित्व की संपत्ति के अंतरण, व्ययन, उपयोग व उपभोग का वैध अधिकार प्रर्वतन मे है। बिना वैध प्रमाण के प्रकाशित आम सूचना दिनांक 09.10.2026 का खंडन दिनांक 12.10.2026 का प्रतिखंडन किया जाकर आमजन को संसूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति को अंतरण करने का वैध अधिकार मेरे पक्षकार के पक्ष में स्वामित्व अर्जन दिनांक से विद्मान है। जिसके प्रर्वतन मे उक्त सम्पत्ति के संबंध मे किया जाने वाला संव्यवहार विधि अनुयोज्य है।

अतः आम सूचना दिनांक 09.10.2026 के पक्षकार व आमजन दिनांक 12.10.2026 के खण्डन से भ्रमित न हो। मेरे पक्षकार के द्वारा खण्डन प्रकाशित करवाने वाले पक्षकार के विरुद्ध विधि अनुसार विधिक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अतः आमजन संसूचित होवे।

भवदीय-**(वी.पी.सिंह)** अधिवक्ता
जी-22, सांदी काम्पलेक्स, बोर्ड आफिस के सामने, शिवाजी नगर, भोपाल मो.-9753339009

जाहिर सूचना

खसरा कमांक-4/3 ग्राम-जाटखेड़ी, तहसील - कोलार, जिला- भोपाल

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एल.एन.जे. बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर श्री जीतेन्द्र ललवानी आत्मज श्री लक्खुमल ललवानी एवं श्री निखिल ललवानी आत्मज श्री जितेन्द्र ललवानी, निवासी ओल्ड अशोका गार्डन रायसेन रोड भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक–4/3 (एस), रकबा 0.1660 हेक्टेयर भूमि जो कि ग्राम–जाटखेड़ी, तहसील कोलार, जिला भोपाल (म.प्र.) में नगर पालिक निगम भोपाल की सीमाओं के अन्दर वार्ड क्रमांक–53, में निम्नलिखित चतुर्थसीमाओं में स्थित है :– दिशा पूरब में–पक्का रोड, पश्चिम में– जहरवार की भूमि, उत्तर में–श्री विनय गुप्ता की भूमि, एवं दक्षिण में–मंजू रघुवंशी की भूमि है। यह कि उक्त भूमि स्वामी एवं मेरे पक्षकार के मध्य उक्त संपत्ति के क्रय विक्रय की आपसी सहमति हो गयी है। उक्त भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति कहीं दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण, विक्रय, अनुबंध इत्यादि हो तो वह व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, समय व्यतीत होने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी ।

के.के. पाण्डेय (अधिवक्ता)
कार्या.: एस.एफ.-17, विजय खंभ (कमर्शियल) एक्सिस बैंक के सामने, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल
फो.-4055290, मो.: 9893366758

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in
मोबाइल नंबरः 96461-23323

निविदा पूछताछ संख्या PPR – 15/ 2026 दिनांकः 13.10.2026

मुख्य अभियंता/पी.पी.एंड.आर. संगठन, रोड नंबर D-3, शक्ति विहार, पी.एस.पी.सी.एल. (PSPCL), पटियाला द्वारा 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक अंतर-राज्यीय/अंतः-राज्यीय (interstate/intrastate) स्रोतों जैसे कि जनरेटरों, व्यापारियों जिनके पास ऊर्जा के अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए सी.ई.आर.सी. (CERC) द्वारा जारी वैध अंतर-राज्यीय व्यापार लाइसेंस हो, ऊर्जा के अंतः-राज्यीय व्यापार के लिए पी.एस.ई.आर.सी. (PSERC) द्वारा जारी अंतः-राज्यीय व्यापार लाइसेंस धारक, राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत उपयोगिताओं, राज्यों, आई.पी.पी. (IPPs) और सी.पी.पी. (CPPs) से विद्युत ऊर्जा (नवीकरणीय-गैर सौर / RE-Non Solar) की आपूर्ति के लिए तीन-भाग बोली प्रणाली के तहत ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-बिडिंग पोर्टल के लिए लिंक www.mstcecommerce.com है और यह विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट (www.Powermin.nic.in) तथा पी.एफ.सी. कंसल्टेंसी लिमिटेड (www.pfcindia.com) पर भी उपलब्ध है। विस्तृत एन.आई.टी. (NIT) और निविदा विशिष्टताओं के लिए कृपया 13.10.2026 से www.mstcecommerce.com देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट यदि कोई हो, ऑनलाइन www.mstcecommerce.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2026-27/16128 C978/26

दैनिक भास्कर
सच्ची बात, बेधड़क

आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जिम्मेदारी
अब स्मार्ट बनें !

क्या आप जानते हैं ?

प्रॉपर्टी खरीदना बड़ा फैसला है, इसलिए उसकी पूरी जानकारी जांचना भी आपकी जिम्मेदारी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 के सेक्शन 55 के तहत यह जरूरी है कि आप स्वयं सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी में कोई विवाद, कानूनी दोष या दस्तावेज़ी कमी न हो।

क्योंकि...

एक सामान्य पाठक होने के नाते अब मैं समझ चुका हूं कि विक्रेता से हर जरूरी जानकारी मांगना और पहले से सावधानी बरतना ही सुरक्षित निवेश का रास्ता है। इसलिए मैं प्रॉपर्टी से जुड़ी 'आम सूचना' सर्वाधिक प्रसारित होने वाले अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित करवाता हूं- ताकि पारदर्शिता बनी रहे, विवादों से बचाव हो और निवेश सुरक्षित रहे।

इसलिए 'आम सूचना' के लिए, चुनें सिर्फ दैनिक भास्कर !
रिस्क फ्री प्रॉपर्टी डील के लिए यह आपकी जिम्मेदारी है इसे नजरअंदाज न करें !

ऑनलाइन विज्ञापन बुकिंग BhaskarAd.com | कॉल 97720 19222

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, अरेरा कालोनी शाखा, भोपाल

ई-नीलामी विक्रय सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित ऋणियों / बंधककर्ताओं एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का **भौतिक / सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **18.11.2026** को **इंडियन बैंक, संबंधित शाखा (सुरक्षित लेनदार)** के निम्न वर्णित बकाया राशि को ऋणियों / बंधककर्ताओं एवं जमानतदारों से वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है।

ऋणी का नाम	बंधककर्ता का नाम (संपत्ति मालिक)	सुरक्षित आस्तियों का विवरण (चल अचल संपत्तियाँ)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि	मांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक / बकाया राशि	भार का विवरण संपत्ति का QR Code कोड
मेसर्स जाहन्वी इस्पात प्रा. लिमिटेड	**मेसर्स जाहन्वी इस्पात प्रा. लिमिटेड** निदेशक **1. श्री प्रमोद गुप्ता पुत्र श्री डी.पी गुप्ता 2. श्रीमती दीप्ति गुप्ता पत्नि श्री प्रमोद गुप्ता**	Property ID No. IDIB300029700081 (1) लीजहोल्ड इण्डस्ट्रियल भूमि और भवन (फैक्ट्री) स्थित प्लॉट नंबर ई-8 एवं ई-9, फेस-2, इण्डस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप, तहसील- गोहरगंज, जिला-रायसेन, (मशीनरी को छोड़कर) क्षेत्रफल- 107600 वर्गफीट चर्तुसीमाएँ: पूर्व- सड़क, पश्चिम- MPSEDC लिमिटेड, उत्तर- ई-10 एवं MPSEDC लिमिटेड, दक्षिण- ई-7 एवं सड़क	₹ 5,60,00,000/- ₹ 56,00,000/- ₹ 50,000/-	29.09.2023 18.12.2023 दिनांक 03.10.2026 को ₹ 22,94,54,905/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे भौतिक कब्जा	प्लॉट नं. 08, 09, 10 पर MPSEB का बकाया: ₹ 4,15,09,439/- प्लॉट नं. 08, 09, 10 पर MPIDC का बकाया: ₹ 21,16,452/- प्लॉट नं. 08, 09, 10 पर मंडीदीप नगर पालिका का बकाया: ₹ 14,27,847/- संपत्ति आईडी नं. IDIB300029700081
		Property ID No. IDIB300029700082 (2) लीजहोल्ड इण्डस्ट्रियल भूमि और भवन (फैक्ट्री) स्थित प्लॉट नंबर ई-10 इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-2, मंडीदीप, तहसील-गोहरगंज, जिला- रायसेन, (मशीनरी को छोड़कर) क्षेत्रफल- 51110 वर्गफीट चर्तुसीमाएँ: पूर्व- प्लाट नं. ई-11, पश्चिम- प्लाट नं. ई-9, उत्तर- MPSEDC लिमिटेड एवं ई-11, दक्षिण- सड़क एवं ई-9	₹ 3,50,00,000/- ₹ 35,00,000/- ₹ 50,000/-		संपत्ति आईडी नं. IDIB300029700082
		Property ID No. IDIB300029700084 (3) प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लाट नं. ई-8 एवं ई-9, इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-2, मंडीदीप, तहसील-गोहरगंज, जिला-रायसेन,	₹ 5,00,00,000/- ₹ 50,